न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2010 जिला–मंदसौर R-1759-II/2010

धन्नालाल उर्फ धनराज पुत्र श्री चतुरभुज, निवासी– ग्राम बोरखेड़ी इन्दौर तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

सरपंच ग्राम पंचायत बोरखेड़ी इन्दौर जनपद पंचायत मल्हारगढ़ जिला–मंदसौर (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.10.2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम बोरखेड़ी इन्दौर जनपद पंचायत मल्हारगढ़ में स्थित आबादी की भूमि में आवेदक का पैतृक मकान जिसका साइज 30 फुट x 60 फुट पर कच्चा निर्माण है। आवेदक द्वारा उक्त कच्चे निर्माण को उसके स्थान पर पक्का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। तब गांव में पार्टी बंदी होने के कारण ग्राम पंचायत बोरखेड़ी के सरपंच द्वारा एक शिकायती आवेदन–पत्र इस आशय का तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, अतः उसे रोका जाये। ग्राम पंचायत बोरखेड़ी इन्दौर द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र पर तहसीलदार मल्हारगढ़ द्वारा विधिवत् रूप से प्रकरण क्रमांक 1293/अ–68/07–08 पंजीबद्ध किया गया था एवं पटवारी मौजा से रिपोर्ट चाही गई थी।

2– यहकि, ग्राम बोरखेड़ी इन्दौर के तत्कालीन पटवारी द्वारा आवेदक को सूचना दिये बिना एवं स्थल निरीक्षण किये बिना ही आवेदक की अनुपस्थिति में एक मौके की रिपोर्ट अतिक्रमण के सम्बन्ध में बनाकर तहसील न्यायालय को प्रेषित की गई थी। तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा आवेदक को एक सूचना–पत्र इस आशय का दिया गया कि उसके द्वारा मौजा बोरखेड़ी के सर्वे क्रमांक 419 जो कि आबादी भूमि है उसमें 30 फुट x 60 फुट भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः आवेदक अपना जबाव प्रस्तुत करें। आवेदक द्वारा तत्काल कारण बताओ सूचना–पत्र का जबाव तहसीलदार न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा अपने भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि पर मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य एवं बने कच्चे निर्माण को पक्का बनाया जा रहा है। इस प्रकार उसके द्वारा कोई आबादी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। जबाव पेश करने के बाद अधीनस्थ तहसीलदार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग. 1759–दो/10 जिला – मंदसौर

स्थान तथा दिनाक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–4–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह तीसरी निगरानी है । यह प्रकरण अतिक्रमण का है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । [illegible] रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	